अध्याय-1 : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - विहंगावलोकन

1.1 पृष्ठभूमि

ग्रामीण सड़कें आधारभूत अवसरंचना आवश्यकता का निर्माण करती हैं तथा ग्रामीण समुदाय के सामाजिक-आर्थिक वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह आसपास के गांव या प्रमुख नगरों और बाजारों में उपलब्ध माल एवं सेवाओं तक पहुँच प्रदान करके ग्रामीण विकास की और महत्वपूर्ण रूप से योगदान करती हैं। आदमी और सामान की वृद्धि गतिशीलता आर्थिक वृद्धि की सुविधा प्रदान करता है, जोकि गरीबी को कम करने में सहायता और समग्र सामाजिक विकास प्रदान करता है।

ग्रामीण सड़कों के विकास पर पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79) के अंतर्गत प्रमुख जोर दिया गया जब इसे तत्कालीन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) का भाग बनाया गया था। 1,500 ओर अधिक की जनसंख्या वाले 65,000 गांवो को पांचवी और छठी योजना (1980-85) अवधियों के दौरान जोड़ा गया था। सातवीं योजना (1986-90) से, 1,000 और अधिक की जनसंख्या वाले गांवों को जोड़ने का लक्ष्य था। आठवीं योजना (1992-97) के अंतिम वर्ष में आधारभूत न्यूनतम सेवाओं (बीएमएस) के साथ एमएनपी का विलय कर दिया गया था।

1.2 कार्यक्रम के बारे में

पांचवीं पंचवर्षीय योजना से, ग्रामीण सड़कों पर जोर दिए जाने के बावजूद, व्यवस्थित नियोजन की कमी के कारण इस क्षेत्र में काफी हानि हुई। गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण को भी गंभीर रूप से नहीं लिया गया था जिसके कारणवश खराब गुणवत्ता हुई और आखिरकार सृजित परिसंपत्तियों की समय से पूर्व हानि हुई थी।

इन मामलों का समाधान करने के लिए, भारत सरकार द्वारा 1,000 व्यक्तियों और उससे अधिक की जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पात्र असंबंध बस्तियों में 2003 तक तथा 500 और उससे अधिक व्यक्तियों की जनसंख्या वाली सभी असंबंध बस्तियों में 2007 तक, एकल बारहमासी सड़क

संयोजकता उपलब्ध करवाने के उदेश्य से दिसम्बर 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) नाम से एक ग्रामीण सड़क कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। कार्यक्रम के लिए पात्रता मापदण्ड **तालिका 1.1** में दिए गए हैं।

तालिका 1.1: संयोजकता के लिए पात्रता होने के लिए मापदण्ड

क्षेत्र/राज्य	बस्तियों की जनसंख्या पात्रता (जनगणना 2001 के अनुसार)
मैदानी क्षेत्रों में	500 व्यक्ति और अधिक
विशेष श्रेणी राज्य[1], रेगिस्तानी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र (भारतीय संविधान की अनुसूची-V) और चयनित जनजातीय और पिछड़े जिले	250 व्यक्ति और अधिक
सबसे गहन आईएपी ब्लॉक	100 व्यक्ति और अधिक

भारत सरकार द्वारा 1000 की आबादी वाली सभी बस्तियों को (पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों के मामलों में 500 व्यक्ति) 2009 तक बारहमासी सड़क संबंधता का प्रावधान करने को प्राथमिकता देने का निर्णय किया गया तथा तदानुसार पीएमजीएसवाई उप समुच्य को, सिंचाई, सड़क, विद्युत, आवास, पेयजल तथा संचार के क्षेत्रों में ग्रामीण आधारभूत सरंचना के लिए समयबद्ध योजना उपलब्ध करवाने के लिए फरवरी 2005 में प्रारम्भ किए गए एक नए कार्यक्रम "भारत निर्माण" से जोड़ा गया।

मई 2013 में, सम्पूर्ण ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क को समेकित करने के उद्देश्य से चुने हुए मौजूदा माध्यम व मुख्य ग्रामीण लिकों में सुधार करने के लिए पीएमजीएसवाई-II प्रारम्भ की गई। सड़कों का चयन उनकी आर्थिक सामर्थ्य और ग्रामीण व्यापार केद्रों तथा ग्रामीण हबों के विकास के लिए सुविधा प्रदान करने में उनकी भूमिका पर आधारित था। वर्तमान में पीएमजीएसवाई-II मौजूदा पीएमजीएसवाई के साथ-साथ चल रही है। वर्तमान में, दोनो पीएमजीएसवाई -I और पीएमजीएसवाई -II एक साथ चल रहे हैं।

[1] अक्तूबर 2013 में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 'पहाड़ी राज्य' के स्थान पर असम को शामिल करने हेतु 'विशेष श्रेणी राज्य' स्वीकरण किया गया। विशेष श्रेणी राज्य में- अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तराखण्ड शामिल है।

पीएमजीएसवाई-II के लिए निधि का आबंटन पीएमजीएसवाई के वार्षिक बजट के भीतर था।

1.3 निधिकरण का स्रोत

विभिन्न स्रोत नामत: सकल बजटीय सहायता जिसके दो घटक अर्थात् योजना सहायता और उच्च गति डीजल (एचएसडी) पर उपकर का अंश, विश्व बैंक तथा एशियन विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय अभिकरणों से सहायता और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास (नाबार्ड) से ऋण से कार्यक्रम निधिकृत है।

1.4 निधिकरण पैटर्न

पीएमजीएसवाई-I जोकि भा.स द्वारा पूर्ण रूप से निधिकृत है, उससे भिन्न, पीएमजीएसवाई-II केन्द्र एवं राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के बीच लागत बांटने के आधार पर है। पीएमजीएसवाई-I और पीएमजीएसवाई.-II का निधिकरण पैटर्न **तालिका 1.2** में दिया गया है।

तालिका-1.2 : निधिकरण पैटर्न

कार्यक्रम	केन्द्र का अंश	राज्य का अंश
पीएमजीएसवाई.-I		
सभी राज्य	100 प्रतिशत	
पीएमजीएसवाई-II		
सामान्य राज्य	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
विशेष श्रेणी राज्य, डीडीपी क्षेत्र अनुसूची-V क्षेत्र, बीआरजीएफ जिले और आईएपी जिले	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत

1.5 संगठनात्मक व्यवस्था

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय है। कार्यक्रम के वितरण हेतु विभिन्न अभिकरणों की जिम्मेदारी चार्ट-1.1 में दी गई है।

चार्ट-1.1 : संगठनात्मक स्तर

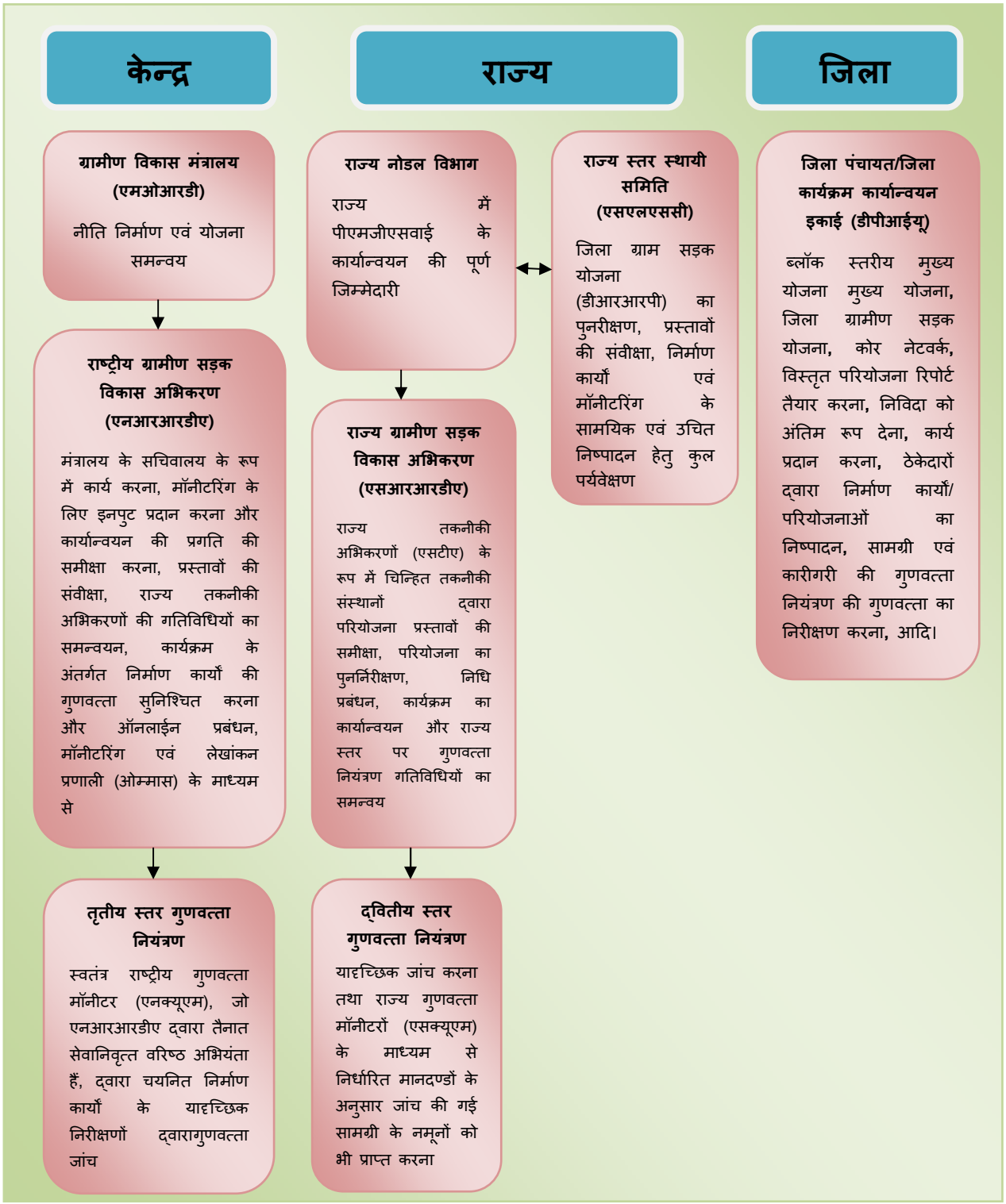

1.6 अब तक की उपलब्धियां

(i) बजट आबंटन, निर्गम एवं व्यय को दर्शाते हुए कार्यक्रम की वित्तीय स्थिति **चार्ट- 1.2** में दी गयी है

चार्ट 1.2: वित्तीय प्रगति

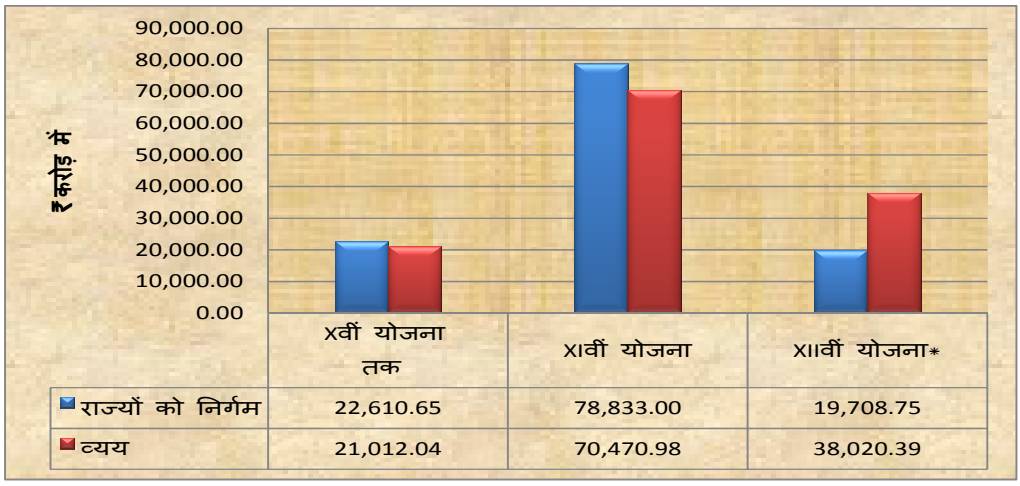

	Xवीं योजना तक	XIवीं योजना	XIIवीं योजना*
राज्यों को निर्गम	22,610.65	78,833.00	19,708.75
व्यय	21,012.04	70,470.98	38,020.39

स्रोत: मंत्रालय के अभिलेख

*2012-13 से 2014-15

टिप्पणी: 12वीं योजना के दौरान मंत्रालय द्वारा निर्गम से अधिक व्यय दर्शाता है कि अन्तर को राज्य के अंश (लम्बी अवधि के पुल, भूमि अधिग्रहण की लागत, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत योग्य न पाए गए व्ययों आदि) तथा राज्यों के पास पड़ी राशियों के ब्याज घटक से पूरा किया जाता है।

(ii) 31 मार्च को योग्य असंयुक्त एवं संयुक्त बस्तियों की स्थिति नीचे **चार्ट-1.3** में दी गई है:

चार्ट-1.3 भौतिक उपलब्धियां

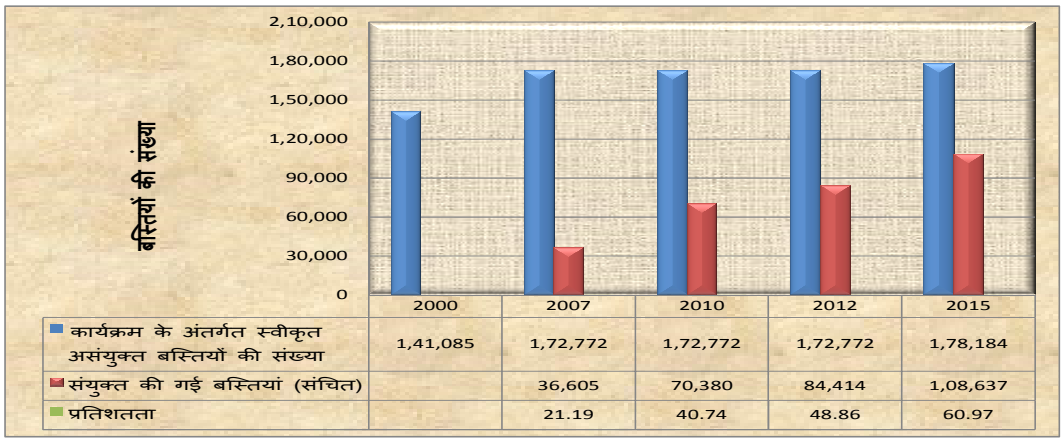

	2000	2007	2010	2012	2015
कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत असंयुक्त बस्तियों की संख्या	1,41,085	1,72,772	1,72,772	1,72,772	1,78,184
संयुक्त की गई बस्तियां (संचित)		36,605	70,380	84,414	1,08,637
प्रतिशतता		21.19	40.74	48.86	60.97

स्रोत: मंत्रालय के अभिलेख